

प्रदेश में 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित

चर्चा में क्यों?

9 जून, 2022 को उत्तराखण्ड के शहरी विकास नदिशालय के नदिशक ललति मोहन रयाल ने बताया कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नदिदेश के तहत सभी नकियों को 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित करने से संबंधित नदिदेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रमुख बदि

- गौरतलब है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 4 जून को शहरी विकास नदिशालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित की जाए।
- इसके तहत नदिशालय ने सभी नगिम, नकियों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रॉन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटफिकेशन जारी करने को कहा है।
- ललति मोहन रयाल ने बताया कि नदिदेशों के तहत 13 नकियों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटफिकेशन जारी कर दिये हैं। नदिशालय प्रदेश के बाकी सभी नगिम-नकियों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा।
- प्रदेश में 1 जुलाई से प्लास्टिकयुक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक डंडियों, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी।
- इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, जैसी कटलरी, मटिाई के डबिबों को लपेटने वाली प्लास्टिक फलिम, नमिंत्रण कार्ड, सगिरेट पैक, 100 माइक्रॉन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।
- गौरतलब है कि प्रदेश भर में पहले भी 50 माइक्रॉन प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।